राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिलाकलक्टर एवंजिलामजिस्ट्रेटजालोर

क्रमांक / विधि / 2020 / 5860

दिनांक:23.05.2020

संशोधित–आदेश

जालोर जिले के ग्राम रानीवाड़ा कलां, तहसील रानीवाड़ा, पुलिस थाना रानीवाड़ा मे नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से सक्रंमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं COVID-19 से उत्पन्न महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने तथा संक्रमण की वर्तमान स्थिति को मध्यनजर रखते हुये अविलम्ब ग्राम रानीवाड़ा कलां, तहसील रानीवाड़ा, पुलिस थाना रानीवाड़ा को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव / नियंत्रण एवं मानवीय जीवन की रक्षा / सुरक्षा के मध्यनजर रखते हुए इस कार्यालय आदेश क्रमांक / विधि / 2020 / 4012 दिनांक 07.05.2020 से रानीवाड़ा कलां राजस्व ग्राम की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) जारी की गई।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए रानीवाड़ा कलां राजस्व ग्राम की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के स्थान पर रानीवाड़ा कस्बे से होकर गुजर रही रेलवे लाईन के उत्तरी–पश्चिमी भाग को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है और उक्त क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे। इस क्षेत्र को जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित कर (लोकिंग एरिया में जन साधारण के आगमन निर्गमन) प्रतिबंधित किया जाता है। रेलवे लाईन के दक्षिणी–पूर्वी भाग को बफर जोन घोषित किया जाता है तथा उक्त क्षेत्र के भीतर आवश्यक सेवाएं यथा दवाईयों की दुकान, किराणा स्टोर, फल व सब्जियों की दुकान, दुध की डेयरी, बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस को छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक / व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

शेष आदेश की पूर्ववत शर्ते यथावत रहेंगी।

(हिमांशु गुप्ता) 23/05
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जालोर

जिला मजिस्ट्रेट जालोर

क्रमांक / विधि / 2020 / 5861 – 5954

दिनांक:23.05.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त जोधपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज जोधपुर।
4. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट................................।
5. जिला पुलिस अधीक्षक जालोर।
6. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जालोर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जालोर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर।
9. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जालोर।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जालोर / सांचोर।
11. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, समस्त।
12. तहसीलदार, समस्त।
13. विकास अधिकारी, समस्त।
14. आयुक्त नगर परिषद्, जालोर।
15. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल / सांचौर।
16. उप पुलिस अधीक्षक जालोर / भीनमाल / सांचोर / रानीवाडा।
17. जिला सूचना एंव जन सम्पर्क अधिकारी जालोर को व्यापाक प्रचार–प्रसार हेतु ।
18. थाना अधिकारी, पुलिस थाना..........................।
19. अतिरिक्त निजी सचिव जिला कलक्टर, जालोर।
20. आदेश पत्रावली

23/5/20
अति. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जालोर

जिला मजिस्ट्रेट जालोर

::कोरोना संक्रमण की रोकथाम ही इस बिमारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है::